परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 264/XIII-III/525(5)/2004
देहरादून : दिनांक : 10-12-2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009

भाग– 1– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ख" एवं "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(ग) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली, या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड जलागम विभाग लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष के जुलाई की प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

भाग – 2 – संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें परिशिष्ट–एक के अनुसार होगी।

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग – 3 – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पदों की श्रेणियां	भर्ती का स्रोत
(1) कनिष्ठ सहायक	(क) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा

		(ख) 25 प्रतिशत पद समूह 'घ' से जिसमें 10 प्रतिशत पद इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों से तथा 15 प्रतिशत पद हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों से जिन्होंने समूह 'घ' के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर चयन के माध्यम से। चयन हेतु 50 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी।
(ग) प्रवर सहायक	–	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(घ) मुख्य सहायक	–	मौलिक रूप से नियुक्त प्रवर सहायकों में से, जिन्होंने प्रवर सहायक के पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(ङ) प्रशासनिक अधिकारी–II	–	मौलिक रूप से, नियुक्त मुख्य सहायकों में से, जिन्होंने मुख्य सहायक के पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(च) प्रशासनिक अधिकारी–I	–	मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–II से, जिसने लिपिक के रूप में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(छ) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	–	मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–I से, जिसने लिपिक के रूप में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

<u>आरक्षण</u> 6. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों

(ख) 25 प्रतिशत पद समूह 'घ' से जिसमें 10 प्रतिशत पद इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों से तथा 15 प्रतिशत पद हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों से जिन्होंने समूह 'घ' के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर चयन के माध्यम से। चयन हेतु 50 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ग) प्रवर सहायक – मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(घ) मुख्य सहायक – मौलिक रूप से नियुक्त प्रवर सहायकों में से, जिन्होंने प्रवर सहायक के पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।

(ड.) प्रशासनिक अधिकारी–II– मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य सहायकों में से, जिन्होंने मुख्य सहायक के पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(च)प्रशासनिक अधिकारी–I– मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–II से, जिसने लिपिक के रूप में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(छ)वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी–I से, जिसने लिपिक के रूप में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों

के अनुसार किया जायेगा।

भाग– 4 – अर्हताऐं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) तथा कैनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो; परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि, यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हताएं 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताऐं होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
कनिष्ठ सहायक	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा

उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हताएं 9. अन्य बातों के सामान्य होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने :—

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए

विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु प्रदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग – 5 – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:—

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को उत्तराखंड की वेबसाईट WWW.ua.nic.in पर प्रदर्शित किया जाएगा या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) अभ्यर्थी को टंकण की परीक्षा देनी होगी तथा टंकण परीक्षा के लिए 4000 KPDH (की डिप्रेशन पर आधार) की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की 4 गुना होगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों तथा टंकण परीक्षा के अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन

16. (1) सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(एक) : नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) : अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(तीन) : अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(चार) : भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

(पांच) : संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी — सदस्य

टिप्पणी :

यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग – 6 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर, जिसमें वे नियम 15 एवं 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा ,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी– पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या वह अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक के (स्थायीकरण) नियमावली, 2003 के अनुसार स्थायी किया जा सकेगा यदि :

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो ,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त

किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु उपबन्ध यह है कि, यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है।

भाग – 7 । वेतन आदि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार होगें:–

क्र0 सं0	पदनाम	दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	कनिष्ठ सहायक	5200-20,200	1900.00
2.	प्रवर सहायक	5200-20,200	2400.00
3.	मुख्य सहायक	5200-20,200	2800.00
4.	प्रशासनिक अधिकारी–II	9300-34,800	4200.00
5.	प्रशासनिक अधिकारी–I	9300-34,800	4200.00
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34,800	4200.00

परिवीक्षा के दौरान वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति

प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही सरकार के अधीन पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग – 8 : अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन — 24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण — 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन, इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी

जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

<u>व्यावृत्ति</u> 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(एम0एच0 खान)
सचिव

परिशिष्ट–1

क्र0सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	कनिष्ठ सहायक	—	22	22
2	प्रवर सहायक	—	19	19
3	मुख्य सहायक	—	16	16
4	प्रशासनिक अधिकारी–II	—	3	3
5	प्रशासनिक अधिकारी–I	—	2	2
6	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	1	1

(एम0एच0 खान)
सचिव